

1. समस्त संयुक्त निदेशक जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
4. मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर।
5. मुख्य दवा विश्लेषक, जयपुर।

चिकित्सा विभाग की अनुपूरक मांग दिनांक 18.07.2019 को निश्चित ( ) आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालय दिनांक 16.07.2019 से 18.07.2019 की रात्रि को विधानसभा की कार्यवाही जारी रहने तक खुले रहेंगे ( ) इस अवधि में अधिकारी/कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे तथा मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। टेलीफोन पर जिम्मेदार अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ( ) फैंक्स मशीन चालू रखी जावे ( ) टेलीफोन / सेलफोन अनावश्यक व्यस्त नहीं रखा जावें ( ) अपने कार्यालय की ई-मेल नियमित रूप से देखते रहें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर

दिनांक - 13/7/19

क्रमांक योजना/15वीं विधानसभा/द्वितीय सत्र/2019/1350

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा एवं ईएसआई मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा एवं ईएसआई राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन मुख्यालय।
6. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एन एच एम एवं निदेशक (आई ई सी) मुख्यालय।
7. परियोजना निदेशक एन एच.एम मुख्यालय।
8. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1,2,3,4 व 5) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक (आरसीएच/एड्स) मुख्यालय।
10. निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।
11. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, अजमेर रोड, जयपुर।
12. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच/प्रशासन/राजपत्रित/चिकि प्रशा/आई ई सी /ग्रा स्वा) मुख्यालय।
14. औषधि नियंत्रक मुख्यालय।
15. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
16. समस्त अनुभाग प्रभारी/संस्थापन/प्रशासनिक/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय।
17. इन्चार्ज, सर्वर रूम, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुये संबंधित को ई-मेल पर भी भिजवाये।
18. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,